झारखण्ड के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक

विश्व विरासत सप्ताह-2021

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण
राँची मंडल, राँची
2021

कृपया स्मारक परिसर में निम्नलिखित गतिविधियां न करें-

1. आग जलाना या आतिशबाजी करना।
2. खाना बनाना, सभा, बैठक या खेल इत्यादि कोई आयोजन करना।
3. इमारत को खरोचना, नाम आदि लिखना, गन्दगी फैलाना व अन्य हानि पहुँचाना।
4. परिसर में स्थित उद्यान में फूल तोड़ना व उसे क्षति पहुँचाना।
5. अनावश्यक शोरगुल करना या पर्यटकों से छेड़छाड़ करना।
6. स्मारक की पवित्रता को क्षति पहुँचाना।
7. स्मारक की दीवारों, छतों व उसके टूटने योग्य भाग पर चढ़ना या बैठना।

एक परिचय

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश के पुरातात्विक शोध एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा को समर्पित एक अग्रणी संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों व पुरातात्विक स्थलों एवं ध्वंसावशेषों का रखरखाव व देखभाल इस संगठन का मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त यह प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार देश में हो रही सभी तरह के पुरातात्विक गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है, साथ ही यह संगठन पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रावधान को भी विनियमित करता है। प्राचीन संस्मारक पुरातत्विक स्थल व ध्वंसावशेषों के नियमित देखभाल एवं रखरखाव हेतु संपूर्ण देश को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 36 मंडलों एवं 01 लघु मंडल में विभाजित किया है। रांची मंडल उनमें से एक है जो संपूर्ण झारखंड में स्थित राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों / स्थलों का रखरखाव करता है साथ ही संपूर्ण झारखंड में पुरातात्विक अन्वेषण एवं शोध को संचालित करता है। इस मंडल का गठन अप्रैल 2003 में किया गया था। इसके पूर्व यह पटना मंडल का एक भाग हुआ करता था। वर्तमान समय में रांची मंडल के अंतर्गत कुल 13 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक /पुरास्थल हैं जिनकी देखभाल एवं रखरखाव प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

राजमहल एवं मंदिर परिसर, नवरतनगढ़, जिला- गुमला

नवरतनगढ़ का ऐतिहासिक स्थल राँची से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत आने वाले सिसई-बसिया मार्ग पर नगर ग्राम के निकट स्थित है। उत्तर मध्यकाल में यह नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। एक पंरपरा के अनुसार नाग राजवंश के 49 वें शासक (नागपुरिया नागवंशावली के अनुसार) श्री महाराज रघुनाथ शाह ने 18 वीं सदी ई. के प्रारम्भ में इन भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसा कि वहां के कुछ लेखों में वर्णित है। जबकि एक दूसरी परंपरा के अनुसार नागपुरिया नागवंशावली के 45 वें राजा दुर्जनशाल ने इन भवनों का निर्माण करवाया था। नवरतनगढ़ में कुल तीन अभिलेख पाये गये हैं। इनमें से दो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विद्यमान हैं। प्रथम अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि राजकीय धर्मगुरु श्री हरिनाथ द्वारा संवत् 1739 या सन् 1683 ई. में निर्मित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित था। दूसरा अभिलेख यह बताता है कि राजा रघुनाथ ने संवत् 1739 अथवा सन् 1683 ई. में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर का निर्माण कराया था। तीसरे अभिलेख के कुछ अक्षर लुप्त हो गये हैं तथापि यह जानकारी मिलती है कि हरिनाथ देव ने अपने भाई गोकुल नाथ के साथ मिलकर संवत 1767 अथवा सन् 1711 ई. में इस मंदिर का निर्माण कराया था। नवरतनगढ़ के महल एवं मंदिर के वर्तमान परिसर में निम्नांकित 10 मुख्य देखने योग्य स्मारक हैं: 1. जगन्नाथ मंदिर संख्या-1, 2. रानी लुकाई मंदिर, 3. कमल शाही महल, 4. योगी मठ 5. शाही सरोवर, 6. शाही महल, 7. लोहू थोपा मठ, 8. शैलकृत योनिपीठ के साथ शिवलिंग, 9. शैलकृत भगवान गणेश की प्रतिमा, 10. जगन्नाथ मंदिर संख्या-2

03

जामा मस्जिद, हदफ, जिला- साहेबगंज

यह स्मारक साहेबगंज जिले के मंगलहाट कस्बे में बारादरी के ठीक सामने स्थित है। ऐसा विश्वास है कि इस मस्जिद का निर्माण 16 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासक अकबर के गर्वनर राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद एक उँची भूमि पर बना है जिसे 'हदफ' कहते हैं। यह एक अरबी शब्द है जिसका तात्पर्य धनुष बाण के लक्ष्य से है। हदफ वस्तुत: राजमहल के बसावट का ही एक भाग था। सन् 1575 ई. के बाद फैली महामारी में एक बहुत बड़ी आबादी के हताहत होने तथा सन् 1592 ई. में गंगा के प्रवाह में बदलाव आ जाने पर गौड़ की राजधानी यहाँ स्थानांतरित की गई थी। इस मस्जिद में पश्चिम की तरफ एक विशाल प्रार्थना कक्ष तथा सामने की तरफ कंगुरायुक्त परकोटे से घिरा एक बडा प्रांगण है। परकोटे के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व की तरफ तीन द्वार हैं जिसमें पूर्वी द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रार्थना कक्ष बड़े- बड़े वातायनों एवं छज्जों के प्रभाव के कारण बाहर से देखने पर दो मंजिला प्रतीत होता है। इस कक्ष के पश्चिमी दीवार पर कई ताख बने हैं तथा गचकारी के कार्य द्वारा वानस्पतिक विन्यासों का अलंकरण भी किया गया है। इस मस्जिद की स्थापत्य विशिष्टताएं इतनी भव्य एवं प्रभावोत्पादक हैं कि तब इसे गौड़ प्रदेश (आज का बंगाल) के किसी भी इमारत की तुलना में सर्वाधिक सुंदर एवं भव्य इमारत कहा गया था।

05

संभावित भूगर्त कक्ष एवं सुरंग सह बारादरी के ध्वंसावशेष, जिला- साहेबगंज

साहेबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-80 (राजमहल-साहेबगंज मार्ग) पर स्थित मंगलहाट कस्बे के निकट गंगा के सुरम्य तट एवं एक उंचे टीले पर स्थित बारादरी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वान इसके निर्माण का श्रेय राजा मान सिंह के शत्रु फतेह खान को देते हैं वहीं कुछ विद्वान यह मानते है कि इसका निर्माण बंगाल के नवाब मीर कासिम अली के द्वारा किया गया था। परिसर के एक कोने में इसका प्रवेश द्वार है जिसके साथ प्रहरियों के कक्ष बने हैं। अन्दर की दीवारों से सम्बद्ध कई पंक्तिबद्ध कक्ष हैं जिनमें प्रत्येक के साथ एक खुला प्रांगण बना है, जिनमें महिलाओं व उनकी परिचारिकाओं का वास होता रहा होगा। इनसे जुड़ा एक केंद्रीय कमानीदार दीर्घा है जो भीतरी आंगन में खुलता है। ऐसा विश्वास है कि इस आंगन के मध्य में लकड़ियों से बनी एक वर्गाकार इमारत बनाई गई थी, जिसे रंगमहल कहा जाता था। वर्तमान में इस रंगमहल के कोई अवशेष हमें नहीं मिलते।

"यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजों कर रखें"

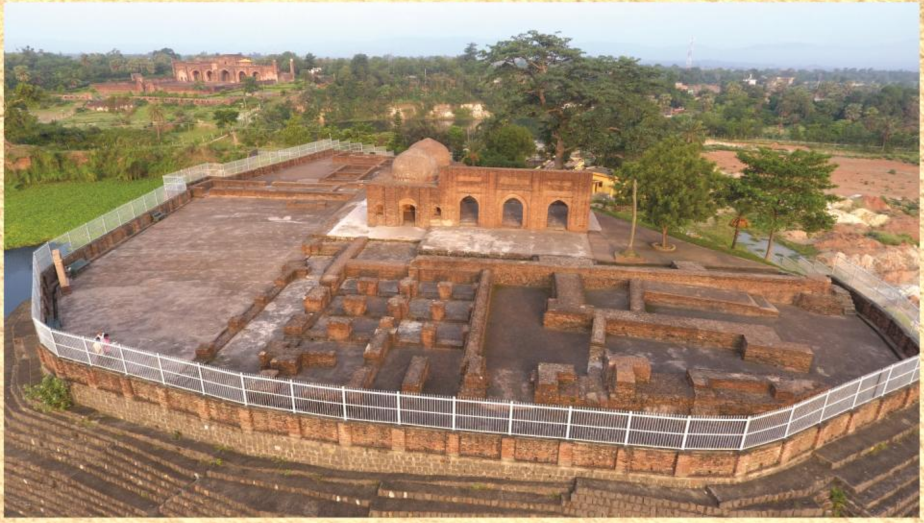

07

मंदिर समूह, हाराडीह, जिला- राँची

राँची जिले के बुंडु प्रखंड में राँची-टाटा मुख्य मार्ग पर बुंडु से 17 किलोमीटर पूर्व में हाराडीह का मंदिर समूह स्थित है। प्राचीन मंदिर के अवशेष हाराडीह गांव के उत्तर में और खेतों के मध्य बनी एक ऊँचे टीले पर विद्यमान है जिससे लगकर कांची नदी बहती है। ये अवशेष सर्वप्रथम सन् 1944 ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक श्री अमलानंद घोष के द्वारा देखे गये थे। सतह पर बिखरे अवशेष से पता चलता है कि इस स्थल पर पाषाण व ईंट से बने कई मंदिर थे जिनमें से दो आज भी यथावत खड़े हैं। ग्रेनाइट पत्थर से बने इन मंदिरों की उदग्र योजना में बाड़ा, गंडी एवं मस्तक का समावेश है। यहां काले पत्थर से बनी षोडसभुजी महिषासुरमर्दनी की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जिसे परिसर स्थित एक आधुनिक मंदिर में स्थापित कर स्थानीय लोग पूजा-अर्चना करते हैं।

"लोगों का अपनी विरासत से रिश्ता वैसा ही होता है, जैसा कि एक बच्चे का अपनी मां से रिश्ता"

असुर पुरास्थल, हेंसा,
जिला- खूंटी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राँची मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी असुर पुरास्थल, राँची से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित खूंटी जिला मुख्यालय के आसपास ही स्थित है। इन पुरास्थलों को सर्वप्रथम श्री शरत चंद्र राय ने पहचाना था और उन्होंनें ही इन्हें असुर पुरास्थल नाम दिया।

यह पुरास्थल खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में खूंटी से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सन् 1944 ई. में सर्वप्रथम श्री अमलानंद घोष, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने इस पुरास्थल का भ्रमण किया था। तद्नुसार, इस स्थल के निकट ही एक बड़ा कब्रगाह था, जिसमें सैकड़ों क्षैतिज पाषाण पट्टिकायें एवं उदग्र स्तंभ लगे थे । इस पुरास्थल से बहुत बड़ी संख्या में हड्डियों व लाल मृदभांडो के टुकड़े प्राप्त हुये थे। श्री घोष ने इस स्थल की पहचान एक कब्रगाह के रुप में की थी जो ई. सन् की प्रारंभिक सदियों में असुरों से जुड़ा था।

असुर पुरास्थल, खूंटी टोला, जिला- खूंटी

यह पुरास्थल खूंटी शहर के पश्चिमी भाग में खूंटी- सिमडेगा मार्ग के किनारे बसे जोजो टोली में स्थित है। असुर पुरास्थल खूंटी टोला को सर्वप्रथम सन् 1916 ई. में श्री शरत चंद्र राय ने उल्लेखित किया था। सन् 1944 ई. में श्री अमलानंद घोष ने इन स्थलों का पुन: सर्वेक्षण किया एवं पाया कि वहां हड्डियों के टुकड़े एवं लाल मिट्टी के रंग वाले मृदभांड के टुकड़े (भद्दे किस्म के व मोटे अनुभाग वाले) बिखरे हुये पड़े थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने इस स्थल से एक मिट्टी के बर्तन का ढक्कन, मर्तबान का एक टुकड़ा तथा दोहरी पक्तियों से बने सकेंद्रित वृत्तों के अलंकरण वाले दो ठीकरों को भी प्राप्त किया था। इस स्थल की तिथि ई. सन् की प्रारंभिक सदी निर्धारित की जाती है।

असुर पुरास्थल, सारिदकेल,
जिला- खूंटी

खूंटी जिला में स्थित यह असुर पुरास्थल खूंटी-तमाड़ सड़क के किनारे तजना नदी के तट पर अवस्थित है। श्री शरत चंद्र राय ने सर्वप्रथम सन् 1915 ई. में इस पुरास्थल का भ्रमण किया था और पाया था कि यहां ईटों और लाल मृदभांड के टुकड़े बिखरे पडे हैं। श्री राय को यहां से सोने की बनी एक कर्णाभूषण एवं पाषाण के मनके भी प्राप्त हुये थे। सन् 1944 ई. में श्री ए. घोष ने भी इस स्थल का भ्रमण किया था और उनके द्वारा देखे गये सभी असुर पुरास्थलों में इसे सबसे बड़ा स्थल बताया था। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राँची मंडल द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया था जिससे यहां एकल संस्कृति वाले बसावट का पता चला ।

असुर पुरास्थल, कुंजला,
जिला- खूंटी

यह पुरास्थल खूंटी जिला मुख्यालय से 05 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। सन् 1915 ई. में सर्वप्रथम श्री शरत चंद्र राय ने असुर पुरास्थल कुंजला को प्रकाश में लाया। इस पुरास्थल के उत्तर- पश्चिमी भाग में श्री अमलानंद घोष ने उत्खनन किया था तथा कतिपय संरचनाओं के अवशेष को अनावृत किया था। ये सभी संरचनाएँ एक चहार दीवारी से घिरी थी। भद्दी बनावट व मोटे अनुभाग वाले लाल मिट्टी के रंग वाले मृदभांडों के टुकड़े यहां से प्राप्त किये गये थे। इनमें से अधिकतर चाक पर बनाये गये थे तथापि कुछ एक हस्त निर्मित भी थे। इन मृदभांडों के अलंकरण में सकेंद्रित वृतों की श्रृंखला, तरंगित रेखायें, परस्पर आवृत होते त्रिभुज तथा ठप्पे लगाकर बनाये गयें आकृतियों का प्रयोग किया गया था। इस पुरास्थल की तिथि ई. सन् की प्रारंभिक सदी निर्धारित की जाती है।

असुर पुरास्थल, कठर टोली (गोरा टोली), जिला- खूंटी

यह पुरास्थल खूंटी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दक्षिण में खूंटी- चाईबासा मार्ग पर स्थित है। यह पुरास्थल सर्वप्रथम श्री शरत चंद्र राय द्वारा सन् 1920 ई. में उल्लेखित की गई थी। इस स्थल पर ईंटों के टुकड़े तथा लाल रंग के मृदभांड के ठीकरे बिखरे पड़े थे। सन् 1944 ई. में श्री अमलानंद घोष ने भी इस स्थल का सर्वेक्षण किया था और इसे मिट्टी के बर्त्तनों के टुकड़ों से भरा हुआ पाया था परंतु सतह पर किसी भी संरचना या इमारत के अवशेष नहीं मिले थे।

प्राचीन टीला, (कुलूगढ़ा एवं वासपुट),
ईटागढ़, जिला- सरायकेला खरसावां

यह पुरातात्विक स्थल टाटानगर औद्योगिक क्षेत्र के निकट जमशेदपुर से 12 किलोमीटर पश्चिम में खरकई नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। प्राकृतिक कारणों से टीले में हुऐ कटाव के कारण ईंटों से बने प्राचीन संरचनाओं के अवशेष नदी की तरफ से यहां दिखाई पड़ते हैं। इन ईंटों की माप 42x42x6 सेंटीमीटर तथा 36x26x7 व 26x20x7 सेंटीमीटर है। कुछ ईटों की दीवारें टीले की सतह पर ही दिखाई पड़ती है। यहां से प्राप्त मृदभांडों के टुकड़ों में लाल रंग के मृदभांडों की तथा काले रंग के मृदभांडो की प्रमुखता है। ईंटों की इन संरचनाओं तथा मृदभांडों की शैली के आधार पर इस पुरास्थल की तिथि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल निर्धारित की जाती है।

प्राचीन शिव मंदिर सह शिवलिंग, खेकपरता, जिला- लोहरदगा

जिला मुख्यालय लोहरदगा से पूर्व दिशा में 08 किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय पाषाण खण्डों से बना यह शिव मंदिर खेकपरता गांव के एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर बिना किसी नींव के सीधे चट्टान की सतह पर बना दी गई है। इसमें प्रवेश हेतु पूर्व की तरफ एक मीटर ऊंचा एवं संकरा प्रवेश द्वार बना है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। त्रिरथ योजना में निर्मित मंदिर का शिखर आमलक से मंडित है। मंदिर की कुल ऊंचाई 4 मीटर है। उड़ीसा स्थापत्य कला में बने रेखा देउल की शैली से यह मंदिर पूर्ण साम्यता रखता है और इसकी तिथि 9वीं सदी ई. निर्धारित की जाती है।

अपने उत्पत्ति, अतीत एवं संस्कृति के ज्ञान से विहीन मनुष्य जड़ विहीन वृक्ष के समान है।

17

प्राचीन सरोवर एवं मंदिरों के अवशेष,
बेनीसागर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम

यह पुरास्थल पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 74 किलोमीटर दक्षिण में उड़ीसा प्रांत की सीमा के बिल्कुल निकट मझगांव प्रखंड में स्थित है। संभवत: बेनु नाम के किसी राजा के द्वारा यहाँ स्थित सरोवर का निर्माण कराये जाने के कारण इस स्थल का नाम बेनीसागर पड़ा। सन् 1840 में कर्नल टिकेल ने इस स्थल का भ्रमण किया था और पहली बार इसे प्रकाशित किया था। तत्पश्चात सन् 1875 में जे. डी. बेगलर ने इस स्थल का भ्रमण किया तथा कतिपय मूर्तियों एवं संरचनाओं को देख कर इस स्थल की प्राचीनता सातवीं सदी ई. के आस पास निर्धारित की। सरोवर के दक्षिण पूर्वी किनारों पर किये गए खुदाइयों से दो पंचायतन मंदिर के अवशेष व कुछ अन्य संरचनाएँ तथा कई प्रतिमाएँ यथा सूर्य, भैरव, लकुलीश, अग्नि, कुबेर आदि प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राँची मंडल ने कई सत्रों में यहाँ वैज्ञानिक रीति से साफ-सफाई एवं मलबों को हटाने का कार्य किया है। इस कार्य के परिणामस्वरुप कई शैव मंदिरों के अवशेषों के साथ-साथ अनेकों शिवलिंग, अग्नि, गणेश, महिषासुरमर्दिनी, सूर्य, भैरव, लकुलीश, आदि देवी- देवताओं की प्रतिमाएं, विषय-वासनाओं को प्रदर्शित करते दृश्य-फलक आदि प्राप्त हुए हैं जिन्हें उसी स्थान पर स्थित प्रतिमागृह में प्रदर्शित किया गया है।

प्राचीन दुर्ग का स्थल, रुवाम,
जिला- पूर्वी सिंहभूम

यह पुरास्थल औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टाटा-मुसाबनी मार्ग पर स्थित है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार रुवाम नामक राजा यहाँ से शासन करता था और उसी के नाम पर इस स्थल का नाम रुवाम पड़ा। यह दुर्ग मिट्टी व उससे बनाई गई सुदृढ़ प्राचीर से निर्मित था। वर्तमान में यह स्थल एक टीले के रुप में परिवर्तित हो चुका है जिसके उपर ईटों के टुकड़े एवं लाल रंग के मृदभाण्डों के टुकड़े प्राप्त होते हैं। इस स्थल के निकट ही एक प्राचीन सरोवर है जहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं जो यह इंगित करता है कि प्राचीन काल में यह तांबा गलाने व उनसे औजार निर्मित करने का एक केंद्र हुआ करता था। इस स्थल को ऐतिहासिक काल का माना गया है।

संरक्षित स्मारक

संरक्षित स्मारक, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 के 24) के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। यदि कोई भी संरक्षित स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरुप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम , 2010** के अंतर्गत दो (2) वर्ष तक का कारावास या रु. 1,00,000/- (एक लाख) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

प्राचीन संस्मारक से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, मकबरा, इमामबाड़ा, ईदगाह, हमाम, करबला, किला, बावड़ी, ऐतिहासिक तालाब व घाट, महल, हवेली, धर्मशालाएं, प्राचीन द्वार, मानव निर्मित गुफाएं, स्तम्भ, उत्कीर्ण प्रतिमाएं, छतरियां, स्मृति, स्मारक, स्तूप, विहार, उत्खनित स्थल, उत्कीर्ण लेख, प्राचीन पुल, वेधशाला, कोसमीनार, एकाश्मक एवं ऐसी संरचना जो ऐतिहासिक पुरातत्वीय या कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और कम से कम 100 वर्षों से विद्यमान हो। पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष से तात्पर्य है कि कोई प्राचीन टीला / क्षेत्र जिनमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक अवशेष होने की संभावना हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का उतरदायित्व है कि कला, संस्कृति तथा ऐतिहासिक महत्व की ऐसी प्रत्येक इमारत, स्थान तथा वस्तु का संरक्षण करे जिसे संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है।

'हमारी विरासत हमारी पहचान है इसकी हिफाजत में आगे आयें।'

बारादरी, राजमहल, साहेबगंज

जामा मस्जिद, राजमहल, साहेबगंज

प्राचीन अवशेष, बेनीसागर, पश्चिम सिंहभूम

प्राचीन अवशेष, बेनीसागर, पश्चिम सिंहभूम

शिव मंदिर, खेकपरता, लोहरदगा

राजमहल एवं मंदिर परिसर, नवरतनगढ़, गुमला

विरासत के प्रति जनसंचेतना के लिए निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण
राँची मंडल, राँची
2021